

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उत्तरके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- प्रस्तुत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा उपयोग को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- भूमि का संशुद्ध निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अंतरिक्ष कोई अन्य दैक्षिण्य भूमि उपलब्ध नहीं है।
- हस्तान्तरीय विभाग उत्तरके कर्मचारी, आदेकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं नहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सन्दर्भित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उत्तर विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देव-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध ने बनाये गये मुनारे आदि की भी देवधानाल करेगा।
- हस्तान्तरण वन भूमि पर वन टिनाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आवित नहीं होगा।
- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जल्दीओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होग कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जल्दीओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद तो भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिग का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति दिशेष ली हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रखते बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक टिनाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उत्तर पर निर्मित भवन आदि स्थल बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग लो प्राप्त हो जायेगी।
- सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेट तथा होते सनय रथानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श साठनिं०वी० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रभुत्व अनियन्ता, साठनिं०वी० के अंतरिक्ष गुण्य अनियन्ता, एवं क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पठ संख्या 608 सी० दिनांक १०-२-८२ में निर्दित आदेशों का पालन भी साठनिं०वी० द्वारा किया जायेगा कि अश्वनार्ग बनाना अथवा वन भाँग को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पठ के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उठप्र० वन निगम अथवा और लोई उपयुक्त प्रशिल्या जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
- हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार ने याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल ने वृक्षारोपण तथा ३ वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तथा किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं ३० डिग्री से ऊंचिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निविद्व है। इसी ब्रकार बांज के पेड़ों पर चालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।



15. यन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में घटासम्बद्ध पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खन्नों को ऊपर करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि पिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संदर्भ स्थल निरीक्षण करके सन्दर्भित उम दन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदै नहर आदि निर्माण में नू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को उपका करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यव से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त ददि भारत सरकार अथवा बन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई उच्च शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग ले नान्य होगी।
18. बन भूमि का वारतावेल हस्तान्तरण शाभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा मालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि बन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त याचक विभाग को मान्य है।

संस्थायक अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो० निं० फि०
बैजरो (गढ़वाल)

ह०/
इच्छक एजेन्सी
आधिकारी अभियन्ता
निमाण खण्ड लो० निं० फि०
बैजरो (गढ़वाल)